

## कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली


### (नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली)

प्रमुख सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के पत्र सं०-2629/33-2-16-03जी०/2013 दिनांक-12.08.2016 द्वारा जिला पंचायत, चन्दौली में द्वितीय श्रेणी लिपिक के 02 रिक्त पदों को भरे जाने/नियुक्ति किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। स्वीकृत/रिक्त पदों पर नियुक्ति जिला पंचायत कर्मचारी सेवा नियमावली 1970 यथा संशोधित 1984 में दी गयी व्यवस्था तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। स्वीकृत/रिक्त पदों हेतु आरक्षण एवं वांछित अर्हता आदि का विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अनु० जाति	अ०पि०व०	अनारक्षित	आयु	पद हेतु अनिवार्य अर्हता
1	द्वितीय श्रेणी लिपिक	5200-20200 ग्रेड पे 2000	02	-	-	02	01 जनवरी, 2016 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	इंटरमीडिएट और अंग्रेजी तथा हिन्दी में कम से कम 30/30 शब्द प्रति मिनट का टंकण गति के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी०सी०सी०" प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. कार्यालय का नाम-
  2. आवेदित पद का नाम-
  3. विज्ञप्ति संख्या-..... दिनांक-.....
  4. आवेदक का नाम.....
  5. पिता/पति का नाम.....
  6. जन्म तिथि ..... (01.01.2016 को आयु) वर्ष..... माह..... दिन.....
  7. आरक्षित श्रेणी-..... जाति..... लिंग.....
- (आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
8. पता (स्थायी)..... मो० नं०..... ई-मेल.....
  9. पत्र व्यवहार का पता..... मो० नं०..... ई-मेल.....
  10. राष्ट्रीयता.....
  11. जिला सेवायोजन कार्यालय का नाम (यदि हो तो)..... पंजीयन संख्या..... दिनांक-.....
  12. क्या आप डोयक सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से "सी०सी०सी०" प्रमाण धारक है ?
  - अ. यदि हां तो स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
  - ब. यदि नहीं तो:-(i) क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय से लिया गया है? स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
  - (ii) क्या कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की है? स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
  13. शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताएँ-



क्र०सं०	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

14. यदि किसी राजकीय सेवा अथवा अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत है, तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. क्या आपका कोई सगा-सम्बन्धी वर्तमान में जिला पंचायत, चन्दौली में किसी अधिकारी या कर्मचारी के पद पर, मा० अध्यक्ष या सदस्य के पद पर कार्यरत है..... अथवा नहीं.....। इस आशय का नोटरी हलफनामा संलग्न करना अनिवार्य है।
16. क्या आपके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई अभियोग तो विचारणीय नहीं है? अथवा सजायाफता तो नहीं है? हाँ/नहीं
17. अन्य योग्यता का विवरण.....
18. अनुभव.....
19. चरित्र प्रमाण-पत्र शैक्षिक संस्थाओं या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया, की छायाप्रति संलग्न करें।
20. संलग्नकों की संख्या.....

घोषणा:-

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैंने आवेदन पत्र हेतु सभी पात्रता/शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और यह शर्तें पूरा करता/करती हूँ।
2. इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचना सत्य व सही हैं। मैंने इन विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है, और न ही कोई तथ्य गलत दिये गये हैं। यदि कोई सूचना/विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाते हैं, या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया पाया जाये तो, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी और मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

3. यदि नियुक्ति के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएँ समाप्त कर दी जायें।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:.....

दिनांक:.....

**सामान्य निर्देश:-**

1. अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2016 से की जायेगी। आरक्षित वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।
2. आवेदन-पत्र में यथा स्थान पर एक नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करना होगा।
3. आवेदन-पत्र के साथ 10X25 सेमी के दो लिफाफे पर पंजीकृत डाक के निर्धारित डाक टिकट लगाकर अपना नाम व पूर्ण पता लिखकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन-पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थियों के लिए रू0 500, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 250.00 तथा अनुसूचित जाति के लिए रू0 100.00 का बैंकड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली के पद नाम से जमा करना अनिवार्य है। बैंकड्राफ्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह का भुगतान मान्य नहीं होगा।
5. आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक-30.09.2016 को निर्धारित है। उक्त तिथि के बाद कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी के अर्ह होने अथवा न होने के सम्बन्ध में नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
7. आवेदन-पत्र अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से पहुंचाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं सामान्य निर्देश [www.sewayojan.up.nic.in](http://www.sewayojan.up.nic.in) पर देखा, पढ़ा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदन-पत्र पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन-पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों को स्व प्रमाणित छायाप्रति व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. अभ्यर्थियों के टंकण की परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी।
11. चयन की कार्यवाही उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) एवं जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 (यथा संशोधित) तथा तद्विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत की जावेगी।
12. साक्षात्कार के समय पात्र अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण-पत्र चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
13. सगा-सम्बन्धी का तात्पर्य पिता, पितामह, श्वशुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनोई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, बहन, भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो, माता, सास, चाची या मामी से हैं।

पृ0सं0- 318 /जि0पं0चं0 /2016-17

दिनांक- 8-9-16

**प्रतिलिपि:-**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
  2. आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
  3. अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली।
  4. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र..... को इस आशय के साथ कि उपरोक्त विज्ञापन को प्राथमिकता के आधार पर कम से कम स्थान एवं मूल्य में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करें।
  5. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चन्दौली।
  6. लेखाकार, जिला पंचायत, चन्दौली।
  7. नज़िर, जिला पंचायत, चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना N.I.C. की वेब-साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, चन्दौली।